

सन्दर्भ सं०

/एसआईडीसी/एचओ/

दिनांक

कार्यालय आदेश

निदेशक मण्डल के द्वारा यह अनुमोदित किया गया है कि मॉग के आधार पर यदि छोटे भूखण्डों को जोड़कर बड़े भूखण्ड ग्रुप हाउसिंग हेतु बनाये जाते हैं तो ऐसे बल्क ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की बिड आमंत्रित करते समय विकसित एकल आवासीय भूखण्डों हेतु निर्धारित सामान्य प्रीमियम दर में निम्नवत् छूट प्रदान करते हुए न्यूनतम आरक्षित प्रीमियम दर को निर्धारित किया जायेगा:-

(क) एन०सी०आर० स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में बल्क ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु-

क्र० सं०	क्षेत्रफल एकड़ में	सम्बन्धित क्षेत्र की प्रचलित एकल आवासीय प्रीमियम दर में देय छूट
1.	10 एकड़ तक	कोई छूट नहीं
2.	10 से अधिक एवं 50 एकड़ तक	10 प्रतिशत
3.	50 से अधिक एवं 100 एकड़ तक	15 प्रतिशत
4.	100 से अधिक एवं 150 एकड़ तक	17.5 प्रतिशत
5.	150 से अधिक	20 प्रतिशत

(ख) अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में बल्क ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु-

क्र० सं०	क्षेत्रफल एकड़ में	सम्बन्धित क्षेत्र की प्रचलित एकल आवासीय प्रीमियम दर में देय छूट
1.	25 एकड़ तक	कोई छूट नहीं
2.	25 से अधिक एवं 100 एकड़ तक	10 प्रतिशत
3.	100 से अधिक एवं 150 एकड़ तक	15 प्रतिशत
4.	150 से अधिक एवं 200 एकड़ तक	17.5 प्रतिशत
5.	200 से अधिक	20 प्रतिशत

भविष्य में विपणन की जाने वाली प्रत्येक ग्रुप हाउसिंग स्कीम में रिजर्व प्राईस का निर्धारण उपरोक्तानुसार किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(देवी शंकर शर्मा)  
अपर प्रबन्ध निदेशक  
7-X-11  
OK

सन्दर्भ सं० 1370-72/एसआईडीसी/एचओ/Policy XV

दिनांक 07-10-11

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उ० प्र० रा० औ० वि० नि० लि०, कानपुर को सुलभ सन्दर्भ हेतु।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उ० प्र० रा० औ० वि० नि० लि०,  
.....।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ० क्षे० अनुभाग, उ० प्र० रा० औ० वि० नि० लि०, कानपुर।

M. S. S. S.  
(देवी शंकर शर्मा)  
o/c अपर प्रबन्ध निदेशक